प्रिलिम्स फैक्ट्स (06 Aug, 2021)

drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/prelims-facts/06-08-2021/print

प्रिलिम्स फैक्ट्स: 06 अगस्त, 2021

प्लास्टिक-मिश्रित हस्तनिर्मित कागज़

Plastic-Mixed Handmade Paper

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)** ने **प्लास्टिक के प्रयोग** से निजात पाने के लिये प्राकृतिक रूप से विकसित अपने **प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज़** हेतु **पेटेंट पंजीकरण** किया है।

प्रमुख बिंदु

- प्लास्टिक-मिश्रित हस्तनिर्मित कागज़ (जो पुन: प्रयोज्य और पर्यावरण के अनुकूल है) को **प्रोजेक्ट रिप्लान (प्रकृति से प्लास्टिक को कम करना) के तहत विकसित** किया गया था।
  - **स्वच्छ भारत अभियान** के लिये KVIC की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में इस परियोजना को **सितंबर 2018 में लॉन्च** किया गया था।
  - इसका उद्देश्य 20:80 के अनुपात में कपास फाइबर रैग के साथ संसाधित और उपचारित प्लास्टिक कचरे को मिलाकर कैरी बैग बनाना है।
  - यह **भारत में इस तरह की पहली परियोजना** है, जहाँ **प्लास्टिक कचरे को डि-स्ट्रक्चर्ड, डिग्रेडेड, डाइलूटेड** किया जाता है तथा इसे **हस्तनिर्मित कागज़ बनाते समय पेपर पल्प** के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार प्रकृति से प्लास्टिक कचरे को कम करने में सहायता मिलती है।
- यह उपलब्धि **सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खतरे से लड़ने** के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुरूप है।

- अपशिष्ट-प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज़ के उत्पादन से **दोहरे उद्देश्यों** की पूर्ति होने की संभावना है:
    - पर्यावरण की रक्षा
    - स्थायी रोज़गार के अवसरों का सृजन
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित तकनीक **उच्च एवं निम्न घनत्व वाले अपशिष्ट** पॉलीथिन दोनों का उपयोग करती है, जो न केवल कागज़ को अतिरिक्त मज़बूती देती है बल्कि लागत को 34 प्रतिशत तक कम करती है।
- KVIC ने प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज़ का उपयोग करके कैरी बैग, लिफाफे, फाइल / फोल्डर आदि जैसे कई उत्पाद विकसित किये हैं।

पेटेंट

- **पेटेंट, सरकार** द्वारा पेटेंट कराने वाले को **सीमित समय** के लिये आविष्कार हेतु दिया गया एक **वैधानिक अधिकार** है, पेटेंट के तहत उत्पाद बनाने, उपयोग करने, बेचने, आयात करने तथा दूसरों को सहमति के बिना उन उद्देश्यों हेतु उत्पाद का उत्पादन करने की प्रक्रिया से बाहर कर आविष्कार का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करता है।
- भारत में प्रत्येक पेटेंट की अ**वधि पेटेंट हेतु आवेदन करने की तिथि से 20** वर्ष तक है।
- भारत में पेटेंट प्रणाली पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 और पेटेंट नियम, 2003 द्वारा संशोधित **पेटेंट अधिनियम, 1970** के माध्यम से शासित है।
- बदलते परिवेश के अनुरूप पेटेंट नियमों में नियमित रूप से संशोधन किया जाता है, जैसे - **हालिया संशोधन 2016** में।
- **पेटेंट संरक्षण एक क्षेत्रीय अधिकार है,** इसलिये यह केवल भारतीय क्षेत्र में ही प्रभावी है।
    - **वैश्विक पेटेंट की कोई अवधारणा** नहीं है।
    - पेटेंट प्रत्येक देश में प्राप्त किया जाना चाहिये जहाँ आवेदक को अपने आविष्कार की सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग 'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम,1956' के तहत एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है।
- इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी आवश्यक हो, अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना तथा विकास के लिये योजनाएँ बनाना, उनका प्रचार-प्रसार करना तथा सुविधाएँ एवं सहायता प्रदान करना है।
- यह भारत सरकार के **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME)** के अंतर्गत कार्य करता है।
- **KVIC से संबद्ध प्रमुख पहलें:**
    - **हनी मिशन पहल**
    - **प्रोजेक्ट बोल्ड**
    - **लेदर मिशन**
    - **ग्रामोद्योग विकास योजना**
    - **कुम्हार सशक्तीकरण योजना (KSY)**

ई-जेल परियोजना

E-Prisons Project

गृह मंत्रालय (MHA) ने ई-जेल परियोजना (**E-Prisons Project**) के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

> साथ ही गृह मंत्रालय के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए '**नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस' (निमहांस)** ने **कैदियों और जेल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रबंधन के लिये दिशा-निर्देश** जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु

संदर्भ:

- इस परियोजना का उद्देश्य देश की जेलों के कामकाज का कम्प्यूटरीकरण करना है। इसे सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू कर दिया गया है।
- **इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम** के तहत ई-जेल डेटा को पुलिस और कोर्ट सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है।
- ई-जेल एप्लीकेशन को **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र** (NIC), इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) द्वारा विकसित किया गया है।
- **इसके 3 घटक हैं:**
    - **ई-जेल प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS):** इसका उपयोग जेलों में दिन-प्रतिदिन की नियमित गतिविधियों के लिये किया जाता है।
    - **राष्ट्रीय कारागार सूचना पोर्टल:** यह एक नागरिक केंद्रित पोर्टल है जो देश की विभिन्न जेलों के सांख्यिकीय आंकड़े प्रदर्शित करता है।
    - **कारा बाज़ार:** देश की विभिन्न जेलों में बंदियों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिये पोर्टल।

इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम:

- यह पुलिस, फोरेंसिक, अभियोजन, अदालतों, जेलों सहित आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों की सूचना के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिये एक सामान्य मंच है।
- **उद्देश्य: इसका उद्देश्य स्तंभों के बीच आवश्यक जानकारी साझा करने में होने वाली त्रुटियों और लगने वाले समय (जो प्रायः बड़ी चुनौतियों का कारण बनता है जैसे- परीक्षण की लंबी अवधि, खराब सजा, दस्तावेज़ों का पारगमन नुकसान आदि) को कम करना है।**
- बार-बार और आदतन यौन अपराधियों की पहचान करने तथा उन्हें ट्रैक करने के लिये यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस (**National Database on Sexual Offenders-** NDSO) जैसी सुविधा ICJS पारितंत्र से प्राप्त होने वाले कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण लाभ हैं।

कारागार/'उसमें निरुद्ध व्यक्ति'

- यह भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 के तहत राज्य का विषय है।
- जेलों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।
- हालाँकि गृह मंत्रालय जेलों और कैदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नियमित मार्गदर्शन और सलाह देता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में जेलों में भीड़भाड़, दोषियों को कानूनी सलाह की कमी से लेकर छूट और पैरोल के मुद्दों तक विभिन्न समस्याओं की जाँच के लिये **जस्टिस रॉय कमेटी** की नियुक्ति की थी।

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 06 अगस्त, 2021

पद्मा सचदेव

समकालीन डोगरी साहित्य की जननी कही जाने वाली पद्मा सचदेव का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 14 अप्रैल, 1940 को जम्मू-कश्मीर के सांबा ज़िले के पुरमंडल गाँव में जन्मीं पद्मा सचदेव के पहले कविता संग्रह- 'मेरी कविता मेरे गीत' (1969) को वर्ष 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवयित्री थीं। इसके अलावा उन्होंने हिंदी भाषा में भी रचनाएँ कीं। वर्ष 2015 में उन्हें अपनी आत्मकथा 'बूंद बावरी' के लिये पद्मश्री और सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2019 में उन्हें साहित्य के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिये प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फैलोशिप भी मिली। लेखिका उमा वासुदेव ने पद्मा सचदेव की आत्मकथा का अंग्रेज़ी में 'ए ड्रॉप इन द ओशन' नाम से अनुवाद किया था। वर्ष 2007-08 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पद्मा सचदेव को उनकी कविताओं के लिये 'कबीर सम्मान' प्रदान किया गया था। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो- जम्मू और ऑल इंडिया रेडियो- मुंबई में भी एनाउंसर काम किया। उनकी कई किताबें प्रकाशित हुईं, जिसमें 'तवी ते चानहन' (नदियाँ 'तवी' और 'चिनाब', 1976), नहेरियान गलियाँ (डार्क लेन, 1982) और उत्तर वाहिनी (1992) प्रमुख हैं।

लक्षद्वीप में वाटर विला परियोजना

लक्षद्वीप में जल्द ही तीन प्रीमियम मालदीव-शैली के वाटर विला विकसित किये जाएंगे। इन तीन प्रीमियम परियोजनाओं को कदमत, मिनिकॉय और सुहेली द्वीपों में विकसित किया जाएगा। इस 800 करोड़ रुपए की महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिये वैश्विक निविदाएँ जारी की गई हैं। यह कदम लक्षद्वीप में पर्यटन विकास के साथ समुद्री आर्थिक विकास में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस परियोजना के तहत प्रयोग किये जाने वाले वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्थानीय लोगों की आजीविका के अवसरों को बढ़ाने और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित हो। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (NCSCM) द्वारा विकसित किये जाने वाले वाटर विला के लिये प्रमुख स्थानों की पहचान की जा रही है, जिसे समग्र विकास मास्टर प्लान द्वारा और मज़बूत किया जाता है। यह परियोजना भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना है, जहाँ सौर ऊर्जा से चलने वाले पर्यावरण के अनुकूल वाटर विला द्वारा विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान की जाएगी।

IIST और डफ्ट यूनिवर्सिटी के बीच समझौता

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान' (IIST) और 'डफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी' के बीच समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन के तहत इनमें से प्रत्येक संस्थान से जुड़े विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों के अकादमिक कार्यक्रमों व अनुसंधान कार्यों को पूरा किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन के तहत संबंधित संस्थान स्नातक-पूर्व, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर पर विद्यार्थियों का आदान-प्रदान कर सकेंगे। इसके अलावा संबंधित संस्थान स्नातक-पूर्व या स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों के लिये विशेष पाठ्यक्रम विकसित कर सकते हैं, जो गृह संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रारंभिक डिग्री के अतिरिक्त होगी। इस समझौता ज्ञापन से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान में एक संयुक्त गतिविधि विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। अतः इससे देश के सभी वर्ग और क्षेत्र लाभान्वित होंगे। इस हस्ताक्षरित समझौते से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई अनुसंधान गतिविधियों और अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) संबंधी संभावनाओं का पता लगाने में काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

'उत्तराखंड भूकंप अलर्ट' एप

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-रुड़की (IIT-R) ने हाल ही में "उत्तराखंड भूकंप अलर्ट' एप लॉन्च किया है, जो कि भारत का पहला भूकंप-पूर्व चेतावनी (EEW) मोबाइल एप है। यह परियोजना 'उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (USDMA) द्वारा प्रायोजित थी। यह भूकंप अलर्ट के बारे में लोगों को सूचित करने के लिये अपनी तरह का देश का पहला एप्लीकेशन है। यह भूकंप-पूर्व चेतावनी प्रणाली एक वास्तविक समय भूकंप सूचना प्रणाली है, जो भूकंप की शुरुआत का पता लगा सकती है और चेतावनी जारी कर सकती है। भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रणाली का भौतिक आधार भूकंपीय तरंगों की गति है, जो फॉल्ट से तनाव मुक्त होने के बाद प्रसारित होती हैं। पृथ्वी की सतह पर होने वाली कंपन सतही तरंगों के कारण होती है, जो प्राथमिक तरंगों की गति से लगभग आधी गति से यात्रा करती हैं और विद्युत चुंबकीय संकेतों की तुलना में बहुत धीमी होती हैं। भूकंप की चेतावनी जारी करने के साथ-साथ यह एप उन स्थानों को भी रिकॉर्ड करेगा, जहाँ भूकंप के दौरान लोग फँस गए हैं और इस जानकारी को आपदा प्रतिक्रिया बल को भेजेगा।